संख्या: 770/XII(1) /17-82(05)/2017T.C-I

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक :16 जुलाई, 2017

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में 08 माह (अगस्त 2017 से मार्च 2018 तक) के लिए वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनॉक 30 जून, 2017 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–18 के 08 माह (अगस्त 2017 से मार्च 2018 तक) हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या: 19 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरण एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की कुल धनराशि रू0 360112 हजार (रू0 छत्तीस करोड़ एक लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 30 जून, 2017 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकरी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
4. वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

लेखा

(डी.डी. सेवराड़ी)
संयुक्त निदेशक

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्याः 19 के मुख्य लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन निदेशक, पंचायतीराज एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

6. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2017–18 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

7. प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखने के उपरांत भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग करते हुए प्रत्येक माह का बी॰एम॰–8 शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक :– सूची/अलोटमेंट आईडी।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः———(1)/ XII(1) /17-82(05)/2017, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
अनु सचिव।

12–कार्यालय फर्नीचर एव उपकरण	100	33	67
13–टेलीफोन पर व्यय	210	70	140
15–गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	800	267	533
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300	17	283
18–प्रकाशन	10	3	7
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10	3	7
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	700	233	467
42–अन्य व्यय	200	67	133
45–अवकाश यात्रा व्यय	100	33	67
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	100	33	67
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	150	50	100
योग–	**76350**	**36551**	**39799**

लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–

09–निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण–

(रूपये हजार में)

मानक मद	कुल प्राविधान	04 माह (अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक) हेतु पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि	08 माह (अगस्त 2017 से मार्च 2018 तक) हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
42–अन्य व्यय	2500	833	1667
योग–	**2500**	**833**	**1667**

लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–

13–त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण–

(रूपये हजार में)

मानक मद	कुल प्राविधान	04 माह (अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक) हेतु पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि	08 माह (अगस्त 2017 से मार्च 2018 तक) हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
42–अन्य व्यय	2500	833	1667
योग–	**2500**	**833**	**1667**

लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–

17–वन पंचायत (2515–00–800–04 से स्थानांतरित)

(रूपये हजार में)

मानक मद	कुल प्राविधान	04 माह (अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक) हेतु पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि	08 माह (अगस्त 2017 से मार्च 2018 तक) हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
01–वेतन	3137	1569	1568
03–महंगाई भत्ता	188	95	93
04–यात्रा व्यय	50	17	33
05–स्थानांतरण यात्रा व्यय	30	10	20
06–अन्य भत्ते	220	73	147
08–कार्यालय व्यय	100	33	67
09–विद्युत देय	20	7	13
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	50	17	33
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50	17	33
योग–	**3845**	**1838**	**2007**